FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

मोहनलाल वगैरह बनाम भैराराम वगैरा।

किस्म मुकदमा धारा 111,128 R.L.R.Act नं. 25/2021 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/01/2021	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत पुरी ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111,128 राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/03/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामील अदम तामील शामिल पत्रावली/ चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 21/06/2021 को पेश हो।	
21/06/2021	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान ... उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 06/08/2021 को पेश हो।	

न्यायालय
क्रमांक / वाद / 2022 / 247
प्रार्थी
1. मोहनलाल पु...
जाति ...

06/08/2021	[illegible] लेकिन उपस्थित [illegible] का पद रिक्त है [illegible] इत्तला लेकर दिनांक 29/11/2021 को पेश हो। [initials]
29/11/2021	प्रार्थी • वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला लेकर आगामी दिनांक 27/01/2022 को पेश हो। [initials]
27/01/2022	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला लेकर दिनांक 08/02/2022 को पेश हो। [initials]
08/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/03/2022 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज.**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/03/2012	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 247 दिनांकः– 28/03/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मोहनलाल पुत्र जेठाराम वगैरा 02, जाति मेघवाल, निवासी कुम्पलिया, पटवार मण्डल कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. भेराराम पुत्र चन्दाराम वगैरा 07, जाति मेघवाल, निवासी कुम्पलिया, पटवार मण्डल कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 25/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – कुम्पलिया, पटवार मण्डल – कुम्पलिया, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 685, 840/687, 738/687 रकबा क्रमशः 12.19, 02.14 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 28/03/2022

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद /2022/ 248 to 252

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र जेठाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री भेराराम पुत्र चन्दाराम वगैरा 07,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु